<u>न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः कमालुद्दीन, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 179/2026</u>

(C.N.R. UPET010004232026)

1. श्री किशोरी उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री मुलायम सिंह,
2. श्री संतोष उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री मुलायम सिंह,
3. श्री विनोद उम्र 37 वर्ष पुत्र श्री मुलायम सिंह,
4. श्री जितेन्द्र उर्फ बन्टू उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री जयवीर सिंह,
5. श्री रिंकू उम्र 34 वर्ष पुत्र श्री जयवीर सिंह,
6. श्री जयवीर सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री नेमसिंह,

निवासीगण ग्राम गदनपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।

7. श्री वेदपाल उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री वारीलाल निवासी ग्राम महाराजपुर, थाना एका, जिला फिरोजाबाद।

-----आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार -----विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–480/2025
धारा–109,115(2),191(2),191(3), 333,351(2),352 बी0 एन 0 एस 0
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

<u>11–03–2026</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **किशोरी, संतोष, विनोद, जितेन्द्र उर्फ बन्टू, रिंकू, जयवीर सिंह एवं वेदपाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**480/2025** धारा–**109,115(2),191(2),191(3),333,351(2),352 बी0 एन 0 एस 0**, थाना–**अवागढ़**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी चरन सिंह की भाभी विनीता देवी ने अपनी बेटी पूजा की गुमशुदी थाना हाजा पर 06.12.2025 को दर्ज कराई थी, इसी बात को लेकर वादी के गाँव का उपेन्द्र पुत्र किशोरीलाल प्रार्थी की भाभी से बोला तेरी बेटी को लेकर उसका भाई टिल्लन ले भागा है। बता तू क्या करेगी और वादी की भाभी को माँ बहन की गन्दी गाली देने लगा। वादी की भाभी ने गाली देने से मना किया तो उपेन्द्र ने अपने परिवारीजन किशोरी, सन्तोष, विनोद पुत्रगढ मुलायम सिंह व जयवीर पुत्रगट नेमसिंह, जितेन्द्र उर्फ वन्टू, रिकू पुत्रगढ जयवीर सिंह व वेदपाल पुत्र वारीलाल गाँव महराजपुर थाना एका जिला फिरोजाबाद व साहिल पुत्र सीताराम गाँव मेहनी थाना मारहरा को बुला लिया। उक्त व्यक्ति हाथो में लाठी डण्डा व फरसा लेकर वादी की भाभी के घर में घुस गये और वादी की भाभी के साथ मारपीट करने लगे। वादी की भाभी का वेटा विजय व देवर का लडका अमोद व गौरव बचाने आया तो उक्त व्यक्तियों ने उन्हे भी मारा पीटा रिंकू ने विजय के सिर पर जान से मारने की नियत से फरसा मारा, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल होकर जमीन पर गिर गया अमोद व गोरव के भी शरीर व सिर पर गम्भीर चोटे आयी जिनका थाना हाजा से

मजरुव चिट्ठी देकर जिला अस्पताल में मेडीकल के लिए भेज दिया जिला अस्पताल से भाभी विनीता देवी व विजय को आगरा एसएन मेडीकल कालेज रेफर कर दिया दौनो हालत गम्भीर है। उक्त व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहे है। अतः वादी थाने आया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वे निर्दोष है। सच कहानी यह है कि अभियुक्तगण के गांव के अजय पुत्र रनवीर, अंकित पुत्र यशपाल, निर्देश, अशोक पुत्रगण राजेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप, आमोद पुत्र तहसीलदार, विक्रम पुत्र श्यामपाल, अवनीश पुत्र राजेन्द्र चार अज्ञात व्यक्ति दिनांक 26.12.2025 समय करीब 6:20 बजे आये। पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण के परिवारीजनों पर टूट पडे। अभियुक्तगण का परिवार खाना खा रहा था। सभी के हाथों में कुल्हाडी, फर्सा, सरिया, लाठी डण्डे थे, जान से मारने की नियत से प्रहार किये जिससे किशोरीलाल के सिर में फर्सा मारा सिर फट गया, जगदीश की सीधी बाजू में चोट आयी। हेमलता की अंगुली में चोट आयी। सन्तोष का सिर फट गया, मनोज के सीधे कंधे में चोट आयी। आवेदक के समस्त परिवारीजनों के चोटें आयीं। अभियुक्तगण के परिवारीजनों को मृत अवस्था में छोडकर वादी व वादी के परिवारीजन भाग गये जिसका अपराध अभियुक्तगण के परिवारी जगदीश ने थाना हाजा पर धारा–191(2), 191(3), 115(2), 109 बी०एन०एस०, अपराध संख्या 482/2025 पंजीकृत कराया। वादी ने पेशबन्दी में आवेदकगण को झूठा अपराध लिखाकर झूठा फंसा दिया। वादी उच्च राजनैतिक हैं जिले के भाजपा के समस्त नेता वादी के घर आते जाते हैं। अच्छे सम्बन्ध होने के कारण पुलिस से परेशान करा रहा है। प्रार्थीगण की सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचा रहा है। पुलिस के समक्ष प्रार्थीगण अपनी सही बात बयान व सश्रय प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये सारी खेती की फसल नष्ट हो रही है जिसे बचाने के लिये आवेदकगण को अग्रिम जमानत की आवश्यकता है। घटना में आवदेकगण के परिवार के जगदीश, प्रेमलता, मनोज गम्भीर चोटों से चुटैल हुये, भाग्यवश बच गये। वादी के द्वारा करायी गयी एफ०आई०आर० में घटना का समय व दिनांक अंकित नहीं है। वादी के परिवार के विजय, आमोद, गौरव, रिंकू के किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं आयीं। समस्त लोगों का फर्जी मेडीकल कराया गया है। मेडीकल में चोटें साधारण प्रकृति की हैं। एफ०आई०आर० एन्टी टाइम है।घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदकगण आज से पूर्व किसी अपराध में सजायाफ्ता नहीं है।उक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी की भाभी के साथ मारपीट की तथा वादी की भाभी का वेटा विजय व देवर का लडका अमोद व गौरव बचाने आया तो अभियुक्तगण द्वारा उन्हे भी मारा पीटा गया। अभियुक्त रिंकू ने विजय के सिर पर जान से मारने की नियत से फरसा मारा, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल होकर जमीन पर गिर गया तथा अमोद व गोरव के भी शरीर व सिर पर गम्भीर चोटे आयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्त की भूमिका,

2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्त के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्त को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए–

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर एक राय होकर वादी की भाभी एवं उसके परिवारीजन के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करने का अभियोग है। इसके साथ ही अभियुक्त रिंकू द्वारा विजय के सिर पर जान से मारने की नियत से फरसा मारा गया, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। अभियोजन के अनुसार चुटैलों के प्राणघातक चोटें आयीं हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चुटैल अमोद कुमार के सिर के पिछले हिस्से में बाएं कान से 6 सेमी ऊपर एक गहरा घाव पाया गया, जो मांसपेशियों तक गहरा है और जिससे खून रिस रहा है, इसके अलावा गर्दन के ठीक नीचे ऊपरी छाती पर रगड़ के साथ नीलगू निशान है। साथ ही, दाहिने हाथ की कोहनी से 7 सेमी नीचे पीछे की तरफ एक नीलगू है और बाएं हाथ के बीच के हिस्से में खुर्चट आई है। चुटैल विनीता के सिर के बाईं ओर एक 4cm लंबा और गहरा घाव है जो खाल की गहराई तक गया है, जबकि सिर के दाईं ओर और बाएं कूल्हे पर 2cm की सूजन और नीलगू के निशान हैं। चुटैल विजय के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सिर और पीठ के हिस्से शामिल हैं। बाएं कान से 3 सेमी ऊपर सिर के हिस्से पर 10 सेमी x 10 सेमी की सूजन और चोट है, साथ ही बाएं कान के पीछे रगड़ के साथ चोट का निशान है। दाएं कान से 11 सेमी ऊपर सिर के ऊपरी हिस्से पर 9 सेमी x 9 सेमी की गहरी चोट है। शरीर के निचले हिस्सों की बात करें तो बाएं कंधे पर 11 सेमी x 7 सेमी की चोट है, और पीठ के निचले हिस्से के बीचों-बीच 10 सेमी x 10 सेमी की सूजन व चोट पाई गई है। इसके अलावा, बाएं घुटने और जांघ के निचले हिस्से पर 5 सेमी x 5 सेमी की चोट है और बाएं पैर के पंजे में दर्द व तकलीफ की शिकायत है। चुटैल गुडडी देवी के माथे के दाईं ओर 2 cm लंबा और 0.5 cm चौड़ा गहरा घाव है जो सिर की खाल की गहराई तक गया है, जबकि बाईं बाजू पर 4 cm x 3 cm का एक बड़ा नील या भीतरी चोट है। चुटैल गौरव माथे के दाहिनी ओर एक गहरा घाव हुआ है, जिसकी लंबाई 2 cm और चौड़ाई 0.5 cm है और यह त्वचा की गहराई तक गया है। इसके अलावा, बाएं हाथ पर 4 cm x 3 cm का एक नीला निशान या अंदरूनी चोट आई है।

थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त रिंकू एवं किशोर का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है तथा अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने पर वे जमानत को दुरूपयोग करेंगें और न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगें।

मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों, चोटों की प्रकृति एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध आक्षेपित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **किशोरी, संतोष, विनोद, जितेन्द्र उर्फ बन्टू, रिंकू, जयवीर सिंह एवं वेदपाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**480/2025** धारा–**109,115(2),191(2),191(3),333,351(2),352 बी0 एन 0 एस 0,** थाना–**अवागढ़**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः 11–03–2026

कृते सत्र न्यायाधीश,
एटा।